

मुकदमों का विवरण

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त बेंगलूर और ए. एन. आर. (2014 की सिविल अपील सं. 9720)

25 सितंबर, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ एकल न्यायाधीश के निर्णय को इस आशय से लागू करने में सही थी कि निपटान आयोग को यू/एस के विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।²⁴⁵ आय कर अधिनियम, 1961 के एच ने निर्धारिती को यह प्रदर्शित करने के लिए कोई भी सामग्री देने से छूट दी कि कर चोरी करने के लिए निर्धारिती की ओर से कोई जानबूझकर छिपाया नहीं गया था और उस आधार पर मामले को नए सिरे से विचार के लिए आयोग को भेज दिया।

आय कर अधिनियम, **1961** -धारा **245** एच-निपटान आयोग की अभियोजन और दंड से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति-निर्धारिती ने आयोग के समक्ष कुछ गतिविधियों से संबंधित आय प्राप्त करने के तरीके के बारे में सामग्री और विवरण रखे और ऐसी अतिरिक्त आय को कर में बदलने की मांग की-इसके आधार पर, निपटान आयोग अभियोजन और दंड से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा।**245** एच-शुद्धता:

आयोजित किया गया: निपटान आयोग ने प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर सही ढंग से विचार किया और निर्धारिती को अभियोजन और दंड से छूट देने का फैसला किया-निपटान आयोग ने इस पहलू पर अपना ध्यान लगाया कि क्या निर्धारिती द्वारा आय को जानबूझकर छिपाया गया था-यह ध्यान में रखते हुए कि खुलासा न करना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कारण था, आयोग ने निर्धारिती को अभियोजन और दंड से छूट देने का फैसला किया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि निपटान आयोग का तर्क अस्पष्ट, अनुचित और स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था-खंड पीठ ने भी उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए न्यायसंगत नहीं ठहराया-आयोग 2

मामले की परिस्थितियों के साथ-साथ संबंधित विधि पर भी पर्याप्त रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया और तदनुसार निपटान के लिए आवेदन के साथ आगे बढ़ने और निर्धारिती को दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया-इस प्रकार, आयोग का आदेश ऐसी असंवेदनशीलता से पर्याप्त नहीं था जो रिमांड का आदेश पारित करके उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और निपटान आयोग के निर्णय को बहाल कर दिया जाता है।[पैरा 7.4,7,5,9 और 14]

आय कर अधिनियम, **1961** -धारा **245** एच-अभियोजन और जुर्माने से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग की शक्ति-आवश्यक सामग्री का प्रयोग:

आयोजित किया गया:एस के अंतर्गत 245 एच (1), यदि निपटान आयोग को संतुष्ट किया जाता है कि निर्धारिती ने निपटान आयोग के समक्ष की कार्यवाही में सहयोग किया है और अपनी आय और जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, उसका पूर्ण और सही खुलासा किया है, तो वह अभियोजन या जुर्माना लगाने से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है-भले ही पूर्व शर्तों के तहत निर्धारित किया गया हो।245 सी को एस में पढ़ा जाना चाहिए।245 एच, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक मामले में, आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा "प्रकट" की गई सामग्री निर्धारण कार्यालय द्वारा खोजी गई सामग्री से कुछ अलग होनी चाहिए-क्या प्रासंगिक है कि निर्धारिती ने आय के विवरण में दर्ज आय के अलावा कर, आय के लिए भुगतान किया -एस. 245 सी आर/डब्ल्यूएस।245 एच केवल निपटान आयोग के समक्ष की जाने वाली आय के पूर्ण और सही प्रकटीकरण पर विचार करता है, भले ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले/द्वारा किए गए प्रकटीकरण या खोजों की परवाह किए बिना।[पैरा 6 और 7.1]

आय कर अधिनियम, **1961** -धारा **245** एच-अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग की शक्ति-इसकी प्रकृति:

आयोजित किया गया:निपटान आयोग यू/एस के पास निहित शक्ति।245 एच एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब निपटान आयोग यह संतुष्ट करता है कि एक आवेदक ने उसमें निर्दिष्ट पूर्व शर्तों का पालन किया है-किसी भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, विधि में खुद को ठीक से निर्देशित करना चाहिए और उन सभी तथ्यों और सामग्री पर विचार करना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है।[पैरा 7.3]

आय कर अधिनियम, **1961** -धारा. **245** एच-निपटान आयोग का आदेश-न्यायिक समीक्षा-:

आयोजित किया गया: इसका दायरा बहुत संकीर्ण है-यह केवल तभी होता है जब आदेश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करता है-धोखाधड़ी, पूर्वाग्रह या द्वेष के आधार पर भी हस्तक्षेप खुला हो सकता है।[पैरा 10]

आय कर अधिनियम, **1961** -धारा **245** एच-निपटान आयोग की कार्यवाही-विधायी आशय

आयोजित किया गया: समझौता आयोग के आदेशों या कार्यवाहियों में बार-बार हस्तक्षेप से बचने के लिए-समझौता आयोग के आदेश या कार्यवाही की सीमित आधारों पर न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है, और एक अपीलीय न्यायालय के रूप में इसकी जांच नहीं की जा सकती है-आयोग के अस्थिर तर्कपूर्ण आदेश वास्तविक निर्धारिती के विश्वास को कम कर सकते हैं, जिससे जहां समझौता संभव हो वहां मुकदमेबाजी की बहुलता हो सकती है। [पैरा 13]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अजमेरा आवास निगम बनाम आयकर आयुक्त (2010) 8 एस. सी. सी. 739:[2010] 10 एस. सी. आर. 183; आयकर आयुक्त बनाम बी. एन.

भट्टाचार्जी (1979) 4 एससीसी 121:[1979] 3 एस. सी. आर. 1133 के आयुक्त

आयकर बनाम एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड (1994) 2 एस. सी. सी. 374:[1994] 1 एस. सी. आर. 64; आशीर्वाद एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य (2004) 3 एस. सी. सी. 624:[2004] 3

एस. सी. आर. 300; ज्योतिन्द्रसिंहजी बनाम एस. आई. त्रिपाठी 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 389:[1993] 2 एस. सी. आर. 938-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2010 के डब्ल्यू. ए. No.2458 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से 2014 की सिविल अपील No.9720।

रूप:

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोहन शाह, डी. भरत कुमार, सिद्धार्थ सिन्हा, अमन शुक्ला, एम. चंद्रकांत रेड्डी, अभिजीत सेनगुप्ता, सुश्री अनु प्रिया निशा मिंज, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, आदित्य राठौर, नमन टंडन, राज बहादुर यादव, शशांक बाजपेयी, प्रशांत सिंह आई., समरवीर सिंह, श्याम गोपाल, प्रह्लाद सिंह, राकेश करेला, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

आयकर आयुक्त बैंगलोर 4 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

1. इस अपील का नेतृत्व बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2010 की रिट अपील संख्या 2458 में पारित दिनांक 2 के निर्णय पर किया गया है, जिसके तहत 2008 की रिट याचिका संख्या 12239 में पारित दिनांक 1 के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, मामले को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए निपटान आयोग को भेजते हुए, जुर्माना और अभियोजन की वसूली से प्रतिरक्षा के प्रश्न को खारिज कर दिया गया था और इसमें अपीलार्थी के नेतृत्व में उपरोक्त रिट अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-निर्धारिती, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पूर्व में, "मेसर्स आई. एन. जी. वैश्य बैंक लिमिटेड") बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका निर्धारण बेंगलोर में कर के रूप में किया जाता है जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। बैंकिंग के व्यवसाय के अलावा, अपीलकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने पर पट्टे पर देने का व्यवसाय भी करता है (इसके बाद संक्षेप में "भारतीय रिजर्व बैंक") परिपत्र दिनांक 19.02.1994 के अनुसार। इस प्रकार, अपीलार्थी अपनी आय, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ पट्टे पर दिए गए लेन-देन से प्राप्त करता है।

2.1. अपीलार्थी ने निर्धारण वर्षों के लिए अपने आयकर विवरणी को 1994-1995 से 1999-2000 तक ले जाया और निर्धारण आदेशों को निर्धारण वर्ष 1997-1998 तक पारित कर दिया गया और बाद के वर्षों के लिए निर्धारण लंबित था। मूल्यांकन वर्ष 1997-1998 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, मूल्यांकन कार्यालय ने कुछ परिवर्धन और अस्वीकृति दी, जिसके आधार पर मूल्यांकन वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 के लिए पहले से ही समाप्त मूल्यांकन को फिर से खोलने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद मूल्यांकन कार्यालय ने मूल्यांकन वर्ष 1997-1998 के लिए 30.03.2000 दिनांकित एक मूल्यांकन आदेश पारित किया। मुख्य मुद्दा पट्टे की गतिविधि के संबंध में आय से संबंधित था। मूल्यांकन आदेश के अनुसार, अपीलार्थी प्राप्त पट्टे के किराये के लिए लेखांकन कर रहा था, इसे एक वित्तीय लेनदेन के रूप में मानते हुए। नतीजतन, पट्टे के किराये को पूंजी पुनर्भुगतान भाग और ब्याज घटक में विभाजित कर दिया गया। केवल ब्याज घटक पर ही कर लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी ने ऐसे पट्टों को "कथित" पट्टेदारों को दिए गए ऋण के रूप में माना 5

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलोर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 6

परिसंपत्तियाँ खरीदना। ऐसे मामलों में परिसंपत्तियों का स्वामित्व पट्टेदारों के पास निहित होता है। हालाँकि, अपीलार्थी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 (इसके बाद सुविधा के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का दावा किया, हालाँकि अपीलार्थी उक्त लेनदेन के उद्देश्य से परिसंपत्तियों का मालिक नहीं था।

2.2.आई. डी. 1 पर निर्धारण कार्यालय ने उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए दिनांक 1 का एक दंड आदेश भी पारित किया, जब यह संतुष्ट किया गया कि अपीलार्थी ने पट्टे के किराये के संबंध में अपनी आय को छुपाया था।

2.3.जबकि विभिन्न कार्यवाहियां, जैसे कि निर्धारण वर्ष 1997-1998 के लिए CIT (A) के समक्ष अपील, निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियां और निर्धारण वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के लिए नियमित मूल्यांकन कार्यवाहियां विभिन्न आयकर प्राधिकरणों के समक्ष लंबित थीं, अपीलार्थी ने 10.07.2000 पर, अधिनियम की धारा 245C (1) के अंतर्गत अपनी आयकर देनदारियों का निपटान करने के लिए चेन्नई में निपटान आयोग से संपर्क किया। 34 बी असर सं। 563/केएनके-III/15/2000-आईटी। अपीलार्थी ने अपने पट्टा लेनदेन के संबंध में आकलन योग्य आय से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद निर्धारण वर्षों के लिए अपनी कर योग्य आय का निर्धारण करने की मांग की; पट्टे पर दी गई संपत्तियों के संबंध में मूल्यहास का लाभ उठाने की पात्रता; धारा 80 एम के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती की मात्रा और धारा 10 (15) और 10 (23 जी) के अंतर्गत छूट; और स्थायी निवेश के रूप में वर्गीकृत बैंक के निवेश पोर्टफोलियो पर मूल्यहास। 2.4.जब मामले इस तरह से खड़े थे, तो पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए निष्कर्षित आकलन को अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करके फिर से खोल दिया गया था। अपीलार्थी ने उक्त निर्धारण वर्षों के संबंध में विरोध के अंतर्गत विवरणी का नेतृत्व किया।

2.5.निपटान आयोग के समक्ष, प्रत्यर्थी-राजस्व ने यह तर्क देते हुए एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि अपीलार्थी ने धारा 245 सी (1) के अंतर्गत विचार किए गए योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं किया और इसलिए, अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि, उक्त प्रावधान के अंतर्गत, अपीलार्थी को निर्धारित तरीके से एक आवेदन करने की आवश्यकता थी जिसमें अपनी आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण था जो नहीं था

/

[2023] 14 एस सी आर।

निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा किया गया और यह भी कि ऐसी आय किस तरीके से प्राप्त की गई थी। कि जब तक कोई सही और पूर्ण प्रकटीकरण नहीं होता है तब तक कोई वैध आवेदन नहीं होगा और निपटान आयोग आवेदन को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि निपटान आयोग के समक्ष किया गया कथित आवेदन अधिनियम की धारा 245 सी (1) के अंतर्गत विचार के अनुसार एक आवेदन नहीं था क्योंकि अपीलार्थी ने अपनी आय का पूर्ण और सही खुलासा नहीं किया था जिसका खुलासा निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं किया गया था।

2.6.दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, निपटान आयोग ने धारा 245 सी के अंतर्गत अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन पर विचार करने और राजस्व द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करने के लिए दिनांक 1 का एक आदेश पारित किया। निपटान आयोग ने एक बोलने वाले आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन को अनुज्ञात और अपीलार्थी को धारा 245 डी के अंतर्गत अपने दावे को आगे बढ़ाने की अनुज्ञात। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 245 डी (1) के अंतर्गत आवेदन को आगे बढ़ाया गया।

2.7.राजस्व ने 2001 की रिट याचिका संख्या 13111 के माध्यम से बेंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष निपटान आयोग द्वारा पारित दिनांक 11.12.2000 के आदेश को चुनौती दी। राजस्व ने अधिनियम की धारा 245 सी (1) के अंतर्गत अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन पर विचार करने में निपटान आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।

2.8.कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अध्याय-XIXA के प्रावधानों के विधायी इतिहास को देखने के बाद, अपीलार्थी द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि धारा 245C का परंतुक, जो पहले था, जिसने आयुक्त को इस प्रकृति के आवेदन पर विचार करने के लिए सीमा पर भी आपत्ति उठाने में सक्षम बनाया था, बाद में धारा 245D की उप-धारा (1) (ए) में स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्ष 1991 से, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया था और ऐसे विधायी इतिहास के आलोक में, राजस्व के लिए आवेदन की स्थिरता के संबंध में ऐसी कोई प्रारंभिक आपत्ति उठाने के लिए खुला नहीं था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदन को निपटान आयोग द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि राजस्व को आवेदन की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाने की अनुमति दी जाए।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलोर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 8

विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 1 दिनांकित आदेश के माध्यम से उपरोक्त रिट याचिका का यह अभिनिर्धारित करते हुए निपटारा किया कि किसी भी प्रारंभिक निर्णय के बावजूद, आयुक्त के लिए अभी भी आंदोलन करने या मामले के सभी पहलुओं से आयोग को अवगत कराने के लिए खुला है कि वह आयोग के समक्ष रखा जा सकता है। एकल न्यायाधीश का विचार था कि उस कानूनी स्थिति की जांच करना आवश्यक नहीं था जिसके लिए उस स्तर पर धारा 245 सी के प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है जब मामला स्वयं निपटान आयोग के समक्ष अभी भी बड़े पैमाने पर था क्योंकि अध्याय-XIXA का उद्देश्य मामलों का निपटारा करना और विवादों को कम करना था न कि मुकदमेबाजी को लंबा करना था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का यह कहते हुए निपटारा किया कि आवेदन के निपटारे के स्तर पर आयोग के समक्ष अपनी सभी दलीलें उठाने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला है और आयोग, दिनांक 1 के आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्णयों से स्वतंत्र, सभी दलीलों की जांच कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों

के अनुसार गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। 2. 1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 दिनांकित आदेश के परिणामस्वरूप, निपटान आयोग ने दोनों पक्षों को गुण-दोष के साथ-साथ रखरखाव के मुद्दे पर भी सुना। निपटान आयोग ने अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन की रखरखाव क्षमता को बरकरार रखा और धारा 245 डी (1) और 245 डी (4) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया, जिसमें Rs.196,36,06,201-पर अतिरिक्त आय का निर्धारण किया गया। जहां तक जुर्माने और अभियोजन से प्रतिरक्षा के मुद्दे का संबंध है, आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया था और अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष अपने आदेश के अनुच्छेद 18.2 में सही और पूर्ण प्रकटीकरण किया गया था, अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंड और अभियोजन के अधिरोपण से धारा 245 एच (1) के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान की। इसके अलावा, निपटान आयोग ने पट्टा किराये की आय का खुलासा न करने के संबंध में निर्धारण वर्ष 1997-1998 के लिए धारा 271 (1) (सी) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया। इसे यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि खुलासा न करना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और अपीलार्थी की ओर से निपटान आयोग के समक्ष पट्टा आय की अतिरिक्त आय के बाद के प्रकटीकरण के कारण था, जब अपीलार्थी को आयकर विधि के अनुसार इसका खुलासा करने में चूक का एहसास हुआ। निपटान आयोग के अन्य प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

/

[2023] 14 एस सी आर।

आई. अपीलार्थी द्वारा आय के प्रकटीकरण के संबंध में, निपटान आयोग ने नोट किया कि आवेदन पर उस तारीख को विधि के ढांचे के भीतर विचार किया जाना चाहिए जब आवेदन दायर किया गया था, अर्थात् 10.07.2000। धारा 245 सी (1) को पढ़ने पर आयोग ने कहा कि 1976 में इसे लागू किए जाने के बाद धारा 245 सी में कई संशोधन किए गए हैं और "निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट की गई आय" से जो स्पष्ट है वह यह है कि यह प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में प्रकट की गई आय है न कि आय जिसकी गणना विवरणी के साथ दस्तावेजों की जांच या व्याख्या के आधार पर की जा सकती है। "निर्धारण कार्यालय के समक्ष प्रकट नहीं की गई आय" के सही अर्थ की व्याख्या करने के लिए धारा 245 सी के प्रावधानों के पूरे परिप्रेक्ष्य को पढ़ना होगा।" यह कि कानून स्पष्ट है कि उक्त वाक्यांश का अर्थ केवल ऐसी आय है जिसका प्रतिफल में खुलासा नहीं किया गया है और न कि जांच में पाई गई आय के रूप में कुछ अतिरिक्त।

ii. आयोग ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने पट्टा आय के लेखांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए महसूस किया था कि आयकर विधि के अनुसार पूर्ण पट्टा किराये की प्राप्तियों का खुलासा नहीं करने में त्रुटि थी। इस प्रकार, अपीलार्थी ने विभिन्न

शीर्षों के अंतर्गत कर के लिए अतिरिक्त आय अर्जित की, जिन पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। जांच की प्रकृति और परिस्थितियों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग का विचार था कि आवेदन को अधिनियम की धारा 245 डी (1) के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना था और प्रथम दृष्टया, आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण जो निर्धारण कार्यालय के समक्ष प्रकट नहीं किया गया था, अपीलार्थी द्वारा किया गया था।

2.10. निपटान आयोग द्वारा पारित दिनांक 1 दिनांकित आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी-राजस्व ने उक्त आदेश को लागू करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 (टी-आई. टी.) की संख्या 12239 वाली रिट याचिका को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आवेदन पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के संबंध में और कर देयता निर्धारित करने में निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश की शुद्धता के संबंध में निपटान आयोग के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अब तक 9 में आयोग के साथ गलती पाई।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 10
जैसा कि अपीलार्थी को जुर्माना लगाने और अभियोजन शुरू करने से प्रतिरक्षा प्रदान करने का संबंध था। एकल न्यायाधीश का विचार था कि निपटान आयोग का तर्क अस्पष्ट, अस्पष्ट और स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था और इसमें यह साबित करने का बोझ अपीलार्थी पर था कि उसकी ओर से कोई छिपाव या जानबूझकर उपेक्षा नहीं की गई थी और निपटान आयोग के समक्ष ऐसे साक्ष्य के अभाव में, दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला आदेश एक अवैध आदेश था। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को एक अवसर प्रदान करने के बाद, जुर्माना लगाने और अभियोजन चलाने से प्रतिरक्षा के प्रश्न और जुर्माना लगाने के लिए निर्धारण कार्यालय के आदेश पर पुनर्विचार करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को निपटान आयोग को भेज दिया।

2.11. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष 2018 की रिट अपील संख्या 2458 को प्राथमिकता दी, जिसमें निम्नानुसार तर्क दिया गया:

आई. यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले को नए सिरे से विचार के लिए रिमांड करने के लिए दिया गया तर्क गलत था और अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ था। यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे कि निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश निर्णायक हैं, सिवाय इसके कि अधिनियम के अध्याय XIX-A में अन्यथा प्रावधान किया गया है। निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश संवैधानिक उपायों के अधीन, उसमें बताए गए मामलों के संबंध में शून्य हैं। हालाँकि, ऐसे संवैधानिक उपायों का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हों या राजस्व/निर्धारिती के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हों या वे पूर्वाग्रह, धोखाधड़ी या द्वेष से दूषित हों।

इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निपटान आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली अधिकारिता और प्रक्रिया को मंजूरी देने के बाद आदेश की वैधता के साथ गलती करने में गलती की।

ii. यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश को यह स्वीकार करना चाहिए था कि धारा 245 सी अकेले निपटान आयोग के समक्ष की जाने वाली आय के पूर्ण और सही प्रकटीकरण पर विचार करती है और उस हद तक धारा 245 सी के प्रावधान स्पष्ट और निश्चित हैं। धारा 245 सी के अंतर्गत निपटान आयोग को दिए जाने वाले आवेदन में आय का पूरा और सही खुलासा होना चाहिए जिसका विवरणी/संशोधित विवरणी में खुलासा नहीं किया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि एक वैधानिक आवश्यकता है कि निर्धारण अधिकारी के समक्ष विवरणों को छिपाने का असर होगा, जबकि निपटान आयोग अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। वह धारा 245 एच विशेष रूप से निपटान आयोग को अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन या अधिनियम के अंतर्गत दंड लगाने से पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। आवेदक को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि आवेदक ने निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया होगा और अपनी आय और निपटान आयोग के समक्ष ऐसी आय प्राप्त करने के तरीके का पूरा और सही खुलासा किया होगा। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्धारण कार्यालय के समक्ष आय को छिपाने की संभावना का संदर्भ देते हुए गलती की।

iii. कि विद्वान एकल न्यायाधीश अधिनियम की धारा 245 एच और धारा 27 एल (एल) (सी) के प्रावधानों के बीच अंतर को समझने में विफल रहे। धारा 245 एच किसी आवेदक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण या साक्ष्य को निपटान आयोग की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर विचार नहीं करती है। यदि निपटान आयोग संतुष्ट होता है कि किसी आवेदक ने उसमें निर्दिष्ट पूर्व शर्त का पालन किया है, तो निपटान आयोग अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसलिए, निपटान आयोग द्वारा अभियोजन और दंड से छूट देने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी। 2.12. इस बीच, राजस्व ने 2008 की रिट याचिका संख्या 12239 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सी. सी. संख्या 19663 को प्राथमिकता दी। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को आठ सप्ताह के लिए खड़े रहने का निर्देश दिया और निपटान आयोग को उच्च न्यायालय द्वारा उसे भेजे गए मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय द्वारा पारित

दिनांक 06.01.2012 के आदेश के अनुसरण में, निपटान आयोग, चेन्नई ने 30.01.2012 पर रिमांड मामले में एक नोटिस जारी किया।

/

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 12 आई. डी. 2 पर अपीलार्थी ने 2010 की रिट अपील संख्या 2458 का निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी करके अपने दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका का अंतिम लिंग उचित नहीं था क्योंकि एक रिट अपील का नेतृत्व किया जाना चाहिए था। यह माना जा सकता है कि 2010 की रिट अपील संख्या 2458 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी और राजस्व ने विशेष अनुमति याचिका दायर करते हुए इस महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया। इस न्यायालय ने दिनांक 2 के एक आदेश के माध्यम से 2010 के एस. एल. पी. (सी) सी. सी. संख्या 19663 में पारित अपने पहले के आदेश को याद किया और उच्च न्यायालय को दो महीने की अवधि के भीतर 2010 की रिट अपील संख्या 2458 का निपटारा करने का निर्देश दिया।

2.13.उसी के बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई रिट अपील को खारिज कर दिया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। यह देखा गया कि मामले को निर्णय के लिए निपटान आयोग को भेजने का विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश किसी भी भौतिक अनियमितता या अवैधता के लिए पर्याप्त नहीं था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

आई. इस प्रश्न पर कि क्या 2008 की रिट याचिका संख्या 12239 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश हस्तक्षेप का आह्वान करेगा, अधिनियम की धारा 245 सी (1) को पढ़ने पर, जो निपटान की मांग करने वाले किसी निर्धारिती द्वारा आवेदन की अंतिम भाषा को नियंत्रित करता है, यह देखा गया कि एक निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन में, उसकी आय का पूरा और सही प्रकटीकरण होना चाहिए जिसका खुलासा निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 245 एच के अवलोकन पर, जिसमें अभियोजन और दंड से उन्मुक्ति देने की आयोग की शक्ति पर चर्चा की गई है, यह देखा गया कि अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आवश्यक तत्व होंगे: (क) निर्धारिती को निपटान आयोग के समक्ष की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए था और (ख) निर्धारिती को अपनी आय और उस तरीके का पूरा और सही खुलासा करना चाहिए था जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है।

ii. धारा 245 एच (1) अंतर्गत निपटान आयोग, यदि संतुष्ट करता है कि कोई भी निर्धारिती जो निपटान के लिए आवेदन करता है

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 245 सी के अंतर्गत आयोग ने आयोग के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और अपनी आय का पूर्ण और सही खुलासा किया है और जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, वह अभियोजन से और समझौते के दायरे में आने वाले मामले के संबंध में पूरी तरह या आंशिक रूप से जुर्माना लगाने से भी प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, धारा 245 एच (1) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि धारा 245 सी 245 एच (1) में अंतर्निहित है, और इसलिए, दोनों धाराओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी मामले में ऐसी छूट नहीं दी जाती है, तो राजस्व निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र की न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ेगा। एक बार अभियोजन दर्ज होने के बाद, यह अनुमान लगाया जाता है कि निर्धारिती की ओर से स्मोक स्क्रीन द्वारा आय को छिपाने और इस तरह कर से बचने का कारण था। निपटान आयोग को यह देखने के लिए आवेदन की जांच करनी होगी कि क्या कर चोरी करने का कोई इरादा रहा है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और आयोग द्वारा इस तरह की कवायद किए जाने के अभाव में, धारा 245 एच (1) के पीछे का इरादा अनुचित हो जाएगा।

iii. डिवीजन बेंच ने नोट किया कि तब प्रचलित धारा 245 डी के प्रावधान के अनुसार, धारा 245 सी के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त होने पर निपटान आयोग को आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगनी थी और ऐसी रिपोर्ट में निहित सामग्री के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों या उसमें शामिल जांच की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, निपटान आयोग को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन को अस्वीकार करने या आगे बढ़ने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था और यह इस पृष्ठभूमि में है कि अभियोजन से प्रतिरक्षा देने की जांच निपटान आयोग द्वारा की जानी चाहिए थी और तत्काल मामले में एकल न्यायाधीश ने पाया कि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए मामले को सही तरीके से रिमांड पर लिया गया था।

2.14.2010 की रिट अपील संख्या 2458 में दिनांकित 06.07.2012 निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने तत्काल सिविल अपील को प्राथमिकता दी है।

प्रस्तुतियाँ:

3. हमने याचिकाकर्ता-निर्धारिती और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, 13 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलोर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 14

श्री बलबीर सिंह, उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए-राजस्व और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया।

3.1. श्री श्याम दीवान ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, जैसा कि खंड पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा दिया गया है, मामले के तथ्यों के आलोक में विधि में गलत दिशा में आगे बढ़ता है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जाना चाहिए। इसे आगे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था:

आई. कि जब, वर्तमान मामले में, निपटान आयोग ने एक सकारात्मक निर्णय दिया कि अपीलार्थी ने सहयोग दिया था और एक सही और पूर्ण प्रकटीकरण किया था और उसके बाद, धारा 245 एच के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग ने अपीलार्थी को अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान की, तो उच्च न्यायालय को निपटान आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह कि निपटान आयोग पर्याप्तता और उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य की प्रकृति का एकमात्र न्यायाधीश है और जब तक अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा दी गई ठोस सामग्री और स्पष्टीकरण था, तब तक उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

ii. कि उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि निर्धारण अधिकारी सभी प्रकार के परिवर्धन कर सकता है और किसी निर्धारिती द्वारा कर की चोरी का दावा कर सकता है। हालाँकि, मूल्यांकन कार्यालय का आदेश किसी भी तरह से अंतिम शब्द नहीं है। अपीलीय उपचार हैं जो एक पीड़ित निर्धारिती के लिए उपचार प्रदान करते हैं और जब तक मूल्यांकन वास्तविकता तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक मूल्यांकन आदेश में निर्धारण अधिकारी का निष्कर्ष उसके अपने दावे के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलार्थी के मामले में इस तरह के स्तर पर नहीं पहुंचा गया था।

iii. निर्धारण अधिकारी के समक्ष विवरणों को छिपाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि निपटान आयोग अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। कि यदि किसी निर्धारिती ने आय की वापसी में अपनी वास्तविक आय का खुलासा किया है और आय का खुलासा पूर्ण और पूर्ण है, तो उसके लिए निपटान आयोग के समक्ष जाने का कोई कारण नहीं है। धारा 245 सी में पूर्ण और

/

[2023] 14 एस सी आर।

आय का वास्तविक प्रकटीकरण केवल निपटान आयोग के समक्ष किया जाना है।

iv. कि धारा 245 सी ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण या साक्ष्य पर विचार नहीं करती है जिसे किसी आवेदक द्वारा निपटान आयोग की संतुष्टि के लिए खारिज करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार खंड पीठ का निर्णय रद्द होने योग्य था। धारा 245 सी में निपटान आयोग के समक्ष की जाने वाली आय का पूर्ण और सही खुलासा करने का विचार किया गया है और यह निर्धारिती द्वारा किया गया था। कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह

अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि एक वैधानिक आवश्यकता है कि निर्धारण अधिकारी के समक्ष विवरणों को छिपाने का निपटान आयोग के समक्ष दायर आवेदन पर प्रभाव पड़ेगा, जो अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है।

3.2. उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील को अनुज्ञात जाए और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 06.07.2013 के आक्षेपित निर्णय में कहा गया है, दरकिनार कर दिया जाए, जिससे निपटान आयोग के दिनांकित 04.03.2008 के आदेश को बहाल किया जा सके।

3.3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों-राजस्व की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में विधि की सही सराहना पर आधारित है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसे आगे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था: आई. यह केवल तभी है जब राजस्व द्वारा पूर्ण आकलन फिर से खोले गए थे और जब दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी कि आवेदन निपटान आयोग के समक्ष धारा 245 सी (1) के अंतर्गत अपीलार्थी के नेतृत्व में किया गया था। यह कि "ज्ञात" और "प्रकट" शब्दों के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जितना कि मूल्यांकन कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा "ज्ञात" किया गया था, वह निपटान आयोग के समक्ष आवेदन में निर्धारिती द्वारा "प्रकट" किए गए विवरण का हिस्सा नहीं हो सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, क्या 15

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आय कर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 16

आवेदन में "खुलासा" किया गया है वही है जो मूल्यांकन कार्यालय द्वारा "खोजा" गया था। धारा 245 सी के प्रावधान एक निर्धारिती के नेतृत्व में एक आवेदन पर लागू किए जाने के कारण, प्रमुख घटक ऐसी आय का खुलासा होगा जिसका खुलासा आय की वापसी में नहीं किया गया था।

ii. कि समझौता आयोग को धारा 245 सी के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगनी थी और ऐसी रिपोर्ट में निहित सामग्री के आधार पर, आयोग को निर्धारिती के नेतृत्व में आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, साथ ही दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा देने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए था। चूंकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और निपटान आयोग ने यह प्रदर्शित करने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग किया कि कर चोरी करने के लिए निर्धारिती की ओर से कोई जानबूझकर छिपाया गया था, इसलिए अपीलार्थी-निर्धारिती को अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाने और अभियोजन चलाने से धारा 245 एच (1) के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आयोग के आदेश को केवल इस हद तक रद्द कर दिया और मामले के उक्त पहलू को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया।

iii.निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय को छिपाने का असर निपटान आयोग के समक्ष दायर आवेदन के परिणाम पर पड़ेगा।कि धारा 245 एच (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि धारा 245 सी 245 एच (1) में अंतर्निहित है।इसलिए, दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा और जब ऐसा पढ़ा जाएगा, तो यह सामने आएगा कि धारा 245 एच के अंतर्गत प्रतिरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, निर्धारिती को न केवल निपटान आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए, बल्कि आय का खुलासा भी करना चाहिए जो आय की वापसी में नहीं किया गया था।

निगम बनाम आयकर आयुक्त, (2010) 8 एससीसी

739. हालाँकि, वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने ऐसी किसी भी आय का खुलासा नहीं किया है जो आय की वापसी में वापस नहीं की गई थी, बल्कि केवल उस आय को आयोग के ध्यान में लाया है जो मूल्यांकन से बच गई थी, जिसे बाद में निर्धारण कार्यालय द्वारा खोजा गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

iv.रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर कमिश्नर में रखा गया था

आय कर बनाम। बी. एन. भट्टाचार्जी (1979) 4 एस. सी. सी. 121 से

यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम के अध्याय XIX-A के प्रावधानों को उनके पीछे विधायी इरादे के रूप में माना जाना था।कि उक्त अध्याय में प्रकट की गई विधि की नीति कर चोरी करने वालों को आश्रय प्रदान करने के लिए नहीं है, ताकि बाद में केवल निपटान आयोग से संपर्क करके कर चोरी के परिणामों का सामना करने से प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सके।कि आयोग को अधिनियम की धारा 245 एच के साथ पठित धारा 245 (सी) के अंतर्गत अपनी शक्ति का उपयोग संयम से करना होगा और केवल उन मामलों में जहां निर्धारिती की ओर से कर चोरी करने का कोई इरादा नहीं था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, आयोग ने इस मुद्दे पर अपना दिमाग नहीं लगाया कि क्या अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अपीलार्थी-निर्धारिती ने जानबूझकर कर की चोरी की थी। इसलिए, निर्धारिती को जुर्माना लगाने और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए मामले को आयोग को उचित रूप से भेज दिया गया था।

v. इसके बाद, श्री बलबीर सिंह, एल. डी. ए. एस. जी. ने निर्णय को संदर्भित किया

इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड, (1994) 2 एस. सी. सी. 374 के मामले में यह तर्क दिया कि

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, जिसमें निर्धारिती ने न तो निपटान आयोग के समक्ष किसी ऐसी आय का खुलासा किया था जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा नहीं किया गया था, और न ही उस तरीके के बारे में कोई विवरण जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई थी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 245 सी में निर्दिष्ट शर्तों का निर्धारिती द्वारा पालन नहीं किया गया था और इसलिए, निपटान आयोग को उसके समक्ष आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। उस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में आवेदन को भी सीमित रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए था और आयोग को इस पर विचार नहीं करना चाहिए था।

3.4. उपरोक्त दलीलों के आलोक में, विद्वान ए. एस. जी., श्री बलबीर सिंह ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा जाए, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 06.07.2013 के आक्षेपित निर्णय में कहा गया है।

17

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलोर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 18

विचार के लिए बिंदु:

4. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर, निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए सामने आएंगे:

आई. क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेशों को इस आशय से लागू करने में सही था कि निपटान आयोग को अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और निर्धारिती को यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं देनी चाहिए थी कि कर चोरी करने के लिए निर्धारिती की ओर से कोई जानबूझकर छिपाया नहीं गया था और उस आधार पर मामले को नए सिरे से विचार के लिए आयोग को भेज दिया गया था?

ii. कौन सा आदेश?

कानूनी ढांचा:

5. आगे बढ़ने से पहले, इस अपील में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए प्रासंगिक कानूनी ढांचे का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

5.1. अधिनियम का अध्याय XIX-A कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए लागू किया गया था ताकि निपटान आयोग से संपर्क करके विभाग को देय कर का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। अधिनियम के अध्याय XIX-A में धारा 245A से लेकर 245M तक शामिल हैं। धारा 245 सी, जो इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, उस तरीके का प्रावधान करती है जिसमें मामलों के निपटारे के लिए

निपटान आयोग के समक्ष आवेदन किया जाना है। धारा 245 सी के अंतर्गत विभाग के साथ किसी मामले को निपटाने की मांग करने वाले निर्धारिती से अपनी आय का पूर्ण और सही खुलासा करने की आवश्यकता होती है, जिसका खुलासा निर्धारण कार्यालय के समक्ष नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है और ऐसी आय पर देय अतिरिक्त कर।

5.2. धारा 245 डी धारा 245 सी के अंतर्गत निपटान के लिए आवेदन प्राप्त करने पर आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 245 सी की उप-धारा (1) आयोग को आयुक्त से रिपोर्ट मांगने में सक्षम बनाती है। आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों या उसमें शामिल जांच की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, निपटान आयोग

/

[2023] 14 एस सी आर।

या तो आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दें या उसे अस्वीकार कर दें। धारा 245 डी की उप-धारा (4) निपटान आयोग को आवेदक और आयुक्त या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को सुनने और उसके समक्ष किसी भी आगे के साक्ष्य की जांच करने के बाद, अभिलेख और आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के बाद एक आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

5.3. अधिनियम की धारा 245 एच निपटान आयोग को अधिनियम के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से या समझौते के दायरे में आने वाले मामले के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत कोई जुर्माना लगाने से किसी भी आवेदक को प्रतिरक्षा प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है। इस तरह की प्रतिरक्षा का अनुदान ऐसी शर्तों के अधीन है जिन्हें आयोग लागू करने के बारे में सोच सकता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त यह है कि आवेदक ने आयोग के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया होगा और अपनी आय और उस तरीके का 'पूर्ण और सही खुलासा' किया होगा जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है।

5.4. तैयार संदर्भ के लिए, अधिनियम के अध्याय XIX-A के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया है:

“245 एच. से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग की शक्ति

अभियोजन और दंड।—(1) निपटान आयोग, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसने धारा 245 सी के अंतर्गत निपटान के लिए आवेदन किया है, उसने निपटान आयोग के समक्ष की कार्यवाही में सहयोग किया है और अपनी आय और उस तरीके का पूरा और सही खुलासा किया है जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए अधिरोपित करने के बारे में सोचता है, इस अधिनियम के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अंतर्गत

या उस समय लागू किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां धारा 245 सी के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पहले ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है, निपटान आयोग द्वारा ऐसी कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि समझौता आयोग भारतीय दंड संहिता 19 के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 20

संहिता (1860 का 45) या इस अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को जो 1 जून, 2007 को या उसके बाद धारा 245 सी के अंतर्गत आवेदन करता है। (1 क) उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी गई प्रतिरक्षा वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति धारा 245 डी की उप-धारा (4) के अंतर्गत पारित निपटान के आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो निपटान आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए, या किसी अन्य शर्त का पालन करने में विफल रहता है जिसके अधीन प्रतिरक्षा दी गई थी और उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की गई थी।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दी गई प्रतिरक्षा को निपटान आयोग द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, यदि यह संतुष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने निपटान की कार्यवाही के दौरान समझौते के लिए कोई विशेष सामग्री छुपाई थी या गलत साक्ष्य दिया था, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में प्रतिरक्षा दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वह समझौते के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दंड के अधिरोपण के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी होता, अगर ऐसी प्रतिरक्षा नहीं दी गई होती।

(3) 1 फरवरी, 2021 को और उससे, इस धारा के अंतर्गत निपटान आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के प्रावधान अंतरिम बोर्ड पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे निपटान आयोग पर लागू होते हैं। "

विश्लेषण:

6. ऊपर निकाले गए प्रावधानों को बारीकी से पढ़ने पर, यह सामने आता है कि धारा 245 एच (1) के अंतर्गत यदि निपटान आयोग को यह संतोष होता है कि कोई भी निर्धारिती जो धारा 245 सी के अंतर्गत निपटान के लिए आवेदन करता है, उसने निपटान आयोग के

साथ उसके समक्ष की कार्यवाही में सहयोग किया है और उसकी आय का पूर्ण और सही खुलासा किया है और जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, वह निपटान के दायरे में आने वाले मामले के संबंध में अभियोजन या जुर्माना लगाने से, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री

/

[2023] 14 एस सी आर।

अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करना होगा: (क) निर्धारिती को निपटान आयोग के समक्ष की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए था और (ख) निर्धारिती को अपनी आय और जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, उसका आयोग की संतुष्टि के लिए पूर्ण और सही खुलासा करना चाहिए था। अतः सार यह है कि निर्धारिती के पास होना चाहिए:

(क) आयोग के समक्ष पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया गया, और (ख) आयोग के समक्ष कार्यवाही में उसका सहयोग किया। 6.1. उक्त घटकों के बारे में संतुष्ट होने पर, आयोग समझौते के दायरे में आने वाले मामले के संबंध में अभियोजन या जुर्माना लगाने से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। 7. जबकि धारा 245 सी में प्रावधान है कि "निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं की गई" आय के बारे में प्रकटीकरण को निपटान आयोग के समक्ष दायर आवेदन के साथ होना चाहिए, धारा 245 एच में प्रावधान है कि यदि निर्धारिती ने निपटान आयोग के साथ सहयोग किया है और "अपनी आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण" किया है, तो निपटान आयोग अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। राजस्व का मामला यह है कि धारा 245 एच (1) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि धारा 245 सी 245 एच (1) में अंतर्निहित है, और इसलिए, दोनों धाराओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जब ऐसा पढ़ा जाता है, तो धारा 245 एच के अंतर्गत आवश्यकता यह होगी कि आय का खुलासा "जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है" आयोग के समक्ष किया जाना चाहिए। राजस्व के अनुसार, वर्तमान मामले में, आवेदन में जो "खुलासा" किया गया था, वह वही था जो निर्धारण अधिकारी द्वारा "खोजा" गया था और इसलिए, निर्धारिती के आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था, और इसके अलावा, धारा 245 एच के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी।

7.1. इस संबंध में, यह देखा गया है कि भले ही धारा 245 सी के अंतर्गत निर्धारित पूर्व शर्तों को धारा 245 एच में पढ़ा जाना है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक मामले में, आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा "प्रकट" की गई सामग्री निर्धारण अधिकारी द्वारा खोजी गई सामग्री से कुछ अलग होनी चाहिए। प्रासंगिकता यह है कि निर्धारिती को आय की वापसी में दर्ज आय के अलावा कर, आय का भुगतान करना पड़ता है। धारा 245 एच के साथ पठित धारा 245 सी केवल निपटान आयोग के समक्ष की जाने वाली आय के पूर्ण और सही प्रकटीकरण पर विचार करती है, चाहे 21

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.आयकर आयुक्त बैंगलोर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 22

मूल्यांकन कार्यालय से पहले/द्वारा किए गए प्रकटीकरण या खोज।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि की गई किसी भी खोज के आधार पर मूल्यांकन कार्यालय द्वारा पारित आदेश अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि यह अपील योग्य है।तथापि, निर्धारिती निर्धारण आदेश में निर्धारित दायित्व को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है।ऐसे मामले में, निर्धारिती अपनी आय और ऐसी आय प्राप्त करने के तरीके का 'पूर्ण और सही खुलासा' करते हुए निपटान आयोग से संपर्क कर सकता है।इस तरह के प्रकटीकरण में मूल्यांकन कार्यालय द्वारा खोजी गई आय भी शामिल हो सकती है।

7.2.यह कहना कि प्रत्येक मामले में, आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा "प्रकट" की गई सामग्री, हमारे विचार में, मूल्यांकन कार्यालय द्वारा "खोजी गई" सामग्री से कुछ अलग होनी चाहिए, एक कृत्रिम आवश्यकता प्रतीत होती है।प्रत्येक मामले में, मूल्यांकन कार्यालय द्वारा जो खोज की गई है, उसके अलावा अतिरिक्त आय भी नहीं हो सकती है।अध्याय-XIXA का उद्देश्य मामलों का निपटारा करना और विवादों को कम करना है, न कि मुकदमेबाजी को लंबा करना।इसलिए, निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील करने के बजाय, निर्धारिती, आय का 'पूर्ण और सही खुलासा' करके, निपटान आयोग से संपर्क कर सकता है और आय की वापसी में प्रकट की गई आय के अलावा अन्य कर आय पर विचार कर सकता है।

7.3.यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 245 एच के अंतर्गत निपटान आयोग के पास निहित शक्ति का प्रयोग एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब निपटान आयोग को संतुष्ट किया जाता है कि एक आवेदक ने उसमें निर्दिष्ट पूर्व शर्तों का पालन किया है।यह सामान्य बात है कि किसी भी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण को विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, विधि में खुद को ठीक से निर्देशित करना चाहिए और उन सभी तथ्यों और सामग्री पर विचार करना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है, जबकि मामले के अप्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं करना चाहिए। अधिनियम की धारा 245 सी के साथ पठित धारा 245 एच के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय आयोग द्वारा जिन प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर विचार किया जाना चाहिए, वे हैं:

- i. अधिनियम की धारा 245 डी (1) के अंतर्गत आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट;
- ii. आय और ऐसी आय के स्रोत के बारे में आयोग के समक्ष आवेदक द्वारा किए गए प्रकटीकरण;
- iii. निर्धारिती या विभाग द्वारा दिया गया कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य।

/

7.4. हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, निपटान आयोग ने प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री पर उचित रूप से विचार किया है और तदनुसार, अपीलार्थी को अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हम निपटान आयोग द्वारा दर्ज मामले के निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

आई. आयोग ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश में कहा कि अपीलार्थी ने पट्टा आय के लेखांकन के आर. बी. आई. दिशानिर्देशों का पालन करते हुए महसूस किया था कि आयकर विधि के अनुसार पूर्ण पट्टा किराये की प्राप्तियों का खुलासा नहीं करने में त्रुटि थी। इस प्रकार, अपीलार्थी ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आय अर्जित की, जिन पर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। जांच की प्रकृति और परिस्थितियों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग का विचार था कि आवेदन को अधिनियम की धारा 245 डी (1) के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना चाहिए और प्रथम दृष्टया, आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण जो निर्धारण कार्यालय से पहले प्रकट नहीं किया गया था, अपीलार्थी द्वारा किया गया था। इस प्रभावी अधिनियम के लिए आयोग के निर्णय उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाले गए हैं:

“ 4.3 हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हमारा मानना है कि बैंकिंग कंपनियों के लिए आयोग से संपर्क करने पर कोई रोक नहीं है। आय की वापसी में भौतिक तथ्यों या आय की वापसी के साथ दस्तावेजों का खुलासा आवेदक के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए कोई बाधा नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि आवेदक आयोग से संपर्क करने का पात्र है।

5.1 अंत में हमने निपटान आवेदन और विश्वसनीय अनुलग्नकों को सावधानीपूर्वक देखा है और संतुष्ट हैं कि आवेदन में सामने लाई गई जांच की जटिलताएं मौजूद हैं। हमने मामले की प्रकृति और परिस्थितियों पर भी विचार किया है जैसा कि आवेदक के प्रतिनिधि ने समझाया है। आवेदक कई शाखाओं के साथ एक स्थापित अनुसूचित बैंक है। आवेदक ने महसूस किया है कि पट्टे की आय के लेखांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते समय पूरे 23 का खुलासा नहीं करने में त्रुटि हुई थी।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 24

आयकर विधि के अनुसार पट्टे पर किराये की रसीदें। इसके अलावा आवेदक ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आय अर्जित की है जिन पर निर्धारण कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रकृति और परिस्थितियां और जांच की जटिलताएं अधिनियम की धारा 245 डी (1) के तहत आवेदन पर आगे बढ़ने की गारंटी देती हैं। हम इस बात से भी यथोचित रूप से संतुष्ट हैं कि, प्रथम दृष्टया, आवेदक द्वारा निर्धारण कार्यालय के समक्ष प्रकट नहीं की गई आय का पूर्ण और सही खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त, मामले को व्यावहारिक रूप से देखते हुए, हम इस आवेदन के निपटारे में लगने वाले समय को लेकर भी चिंतित हैं, विशेष रूप से अनुसूचित बैंक के संबंध में। हम महसूस

करते हैं कि मामलों को शांत करने और समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि करों का त्वरित संग्रह भी निपटान आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हम अधिनियम की धारा 245 डी (1) के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं।

निपटान आयोग के उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है कि उसने इस पहलू पर अपना दिमाग लगाया था कि क्या निर्धारिती द्वारा आय को जानबूझकर छिपाया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि गैर-प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कारण था, जिसके लिए प्रकटीकरण के एक अलग मानक की आवश्यकता थी, आयोग ने अपीलार्थी को अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आयोग ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: “बसाइक शर्त:

18.1 अघोषित आय और उस पर देय कर की गणना इस आदेश के अनुलग्नक 1 से 5 में दी गई है। इस आदेश की प्राप्ति के 35 दिनों के भीतर विधि के अनुसार ब्याज के साथ देय कर का भुगतान किया जाएगा।

18.2 वर्तमान निपटान कार्यवाही के पूरा होने में आवेदक द्वारा दिए गए सहयोग और किए गए सही और पूर्ण प्रकटीकरण को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान आदेश में शामिल मामलों से संबंधित आयकर अधिनियम और भारतीय दंड संहिता सी. की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंड और अभियोजन के अधिरोपण से धारा 245 एच (1) के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आय के रूप में पट्टे के किराये का खुलासा न करने के संबंध में ए. वाई. 1997-98 के लिए निर्धारण कार्यालय द्वारा धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना लगाया गया था। दंड आदेश को रद्द कर दिया गया है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

जब आवेदक को आयकर विधि के अनुसार पट्टा आय का खुलासा करने में चूक का एहसास हुआ तो खुलासा न करने का कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और निपटान आयोग के समक्ष पट्टा आय की अतिरिक्त आय का खुलासा करना था। हालाँकि, इस प्रकार दी गई प्रतिरक्षा को वापस ले लिया जाएगा, यदि बाद में यह पाया जाता है कि Sec.245H की उप-धारा 1 (A)/(2) में निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं।

18.3 उपरोक्त मामले में पारित निपटान आदेश को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि बाद में निपटान आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों के गलत निरूपण द्वारा प्राप्त किया गया है। "

ii. आयोग के आदेश से आगे पता चलता है कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त आय अर्जित की और निम्नलिखित लेन-देन/गतिविधियों से संबंधित आय के विवरण का खुलासा किया:

क) अपीलार्थी की पट्टा गतिविधि के दो पहलू, अर्थात्, आयकर के लिए उत्तरदायी अघोषित पट्टा किराया; पट्टे पर दी जाने वाली 26 परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति न देने के कारण अतिरिक्त आय।

ख) कर्मचारियों को बोनस भुगतान का व्यवहार। ग) शेयर निर्गम व्यय का उपचार।

घ) स्थायी परिसंपत्तियों और प्रतिभूतियों पर मूल्यहास का उपचार।

iii. आयोग का दिनांकित 11.12.2000 आदेश, धारा 245D (1) के अंतर्गत आवश्यक आयुक्त की रिपोर्ट के लिए कई संदर्भ देता है। इसलिए, हम एल. डी. प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं रखते हैं। राजस्व की ओर से उपस्थित एसजी ने कहा कि धारा 245 डी के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक रिपोर्ट के अभाव में, आयोग निपटान के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने में सही नहीं था। 7.5. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही नहीं था कि निपटान आयोग का तर्क अस्पष्ट, अस्पष्ट और स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था। डिवीजन बेंच को भी 25 में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 26 विद्वान एकल न्यायाधीश के इस तरह के दृष्टिकोण से सहमत हैं। आयोग ने, हमारे विचार में, मामले की परिस्थितियों के साथ-साथ प्रासंगिक विधि पर पर्याप्त रूप से अपना दिमाग लगाया और तदनुसार निपटान के लिए आवेदन के साथ आगे बढ़ने और निर्धारिती को दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। आयोग का दिनांक 04.03.2008 का आदेश ऐसी असंवेदनशीलता के लिए पर्याप्त नहीं था जो रिमांड का आदेश पारित करके उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

8. इस समय इस निर्णय का उल्लेख करना उचित हो सकता है।

आशीर्वाद एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य, (2004) 3 एस. सी. सी. 624 में न्यायालय जिसमें

यह कहा गया था कि क्या किसी मामले में अभियोजन और दंड से छूट दी जानी चाहिए, यह आयोग द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में अपने विवेक का प्रयोग करके तय किया जाना चाहिए। कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं है जो हर मामले में सार्वभौमिक रूप से लागू होगा। जहां आयोग को संतुष्ट किया जाता है कि आवेदक (ए) ने अपनी आय और उस तरीके का पूरा और सही खुलासा किया है जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई थी, और (बी) आयोग के साथ उसके समक्ष की कार्यवाही में सहयोग किया है, धारा 245 एच के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्रदान की जा सकती है।

9. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष कुछ गतिविधियों से संबंधित आय प्राप्त करने के तरीके के बारे में

सामग्री और विवरण रखे हैं और ऐसी अतिरिक्त आय को कर में बदलने की मांग की है। इस तरह के खुलासों के आधार पर और यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने समझौते की प्रक्रिया में आयोग के साथ सहयोग किया, आयोग अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा। उच्च न्यायालय को आयोग के समक्ष रखी गई सामग्री और विवरणों की पर्याप्तता के बारे में अपील नहीं करनी चाहिए थी, जिसके आधार पर आयोग अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा।

10. हम इस न्यायालय के निर्णय से अपने विचार में दृढ़ हैं।

ज्योतिन्द्रसिंहजी बनाम। एस. आई. त्रिपाठी, 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 389, जिसमें यह था

यह मत व्यक्त किया कि कोई न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 226 या 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आयोग के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिवाय इस आधार पर कि आदेश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह पैदा करता है। हस्तक्षेप भी खुला हो सकता है

/

[2023] 14 एस सी आर।

धोखाधड़ी, पक्षपात या द्वेष के आधार। इसलिए, इस न्यायालय ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आयोग के आदेशों की न्यायिक समीक्षा के लिए एक बहुत ही संकीर्ण गुंजाइश तैयार की है। इसलिए, हमारा मानना है कि आयोग के समक्ष रखी गई सामग्री और विवरणों की पर्याप्तता, जिसके आधार पर आयोग ने अधिनियम की धारा 245 एच के अंतर्गत अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं, सिवाय ज्योतिन्द्रसिंहजी में निर्धारित परिस्थितियों के।

बनाम। एस. आई. त्रिपाठी (ऊपर)।

11. हम मानते हैं कि एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए, वर्तमान मामले में उनकी सहायता के लिए नहीं आएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय अपने तथ्यों पर बदल जाता है। उक्त मामले में, आयकर अधिकारियों ने व्यापक जांच और जांच की थी, जिसके तहत उन्होंने बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्र की थी, जिसमें निर्धारिती की ओर से बड़े पैमाने पर आय को छिपाया गया था। उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती ने आयोग के समक्ष ऐसी छिपी हुई आय का केवल एक हिस्सा दिया है, इसलिए निपटान के लिए आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

12. हालांकि हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि अधिनियम के अध्याय XIX-A के प्रावधानों का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए ताकि केवल निपटान आयोग से संपर्क करके कर चोरी के परिणामों का सामना करने से छूट प्राप्त करने के लिए कर चकमा देने वालों को आश्रय प्रदान किया जा सके, बी. एन. भट्टाचार्य (ऊपर) के अनुसार, हमारा हालांकि यह विचार है कि वर्तमान मामले में, आयोग ने आय की वापसी में प्रकट की गई आय के अलावा कर के लिए अतिरिक्त आय का भुगतान करने के निर्धारिती के प्रामाणिक आचरण को ध्यान में रखते हुए धारा 245H के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार का सही उपयोग किया।

13. अभिलेख के साथ भाग लेने से पहले, हम यह जोड़ सकते हैं कि विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, निपटान आयोग के आदेशों या कार्यवाही में बार-बार हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। हम पहले ही उन सीमित आधारों का संकेत दे चुके हैं जिन पर निपटान आयोग के आदेश या कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उच्च न्यायालय को एक अपीलीय न्यायालय के रूप में निपटान आयोग के आदेश या कार्यवाही की जांच नहीं करनी चाहिए। निपटान आयोग के अस्थिर तर्कपूर्ण आदेश वास्तविक निर्धारिती के विश्वास को नष्ट कर सकते हैं, जिससे जहां समझौता संभव है, वहां मुकदमेबाजी की बहुलता हो सकती है। इस बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना होगा।

-

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त बेंगलूर [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

14. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि निपटान आयोग का दिनांक 1 का आदेश मामले के तथ्यों के आलोक में विधि के सही मूल्यांकन पर आधारित था और उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसलिए, 2010 की रिट अपील संख्या 2458 में बेंगलूर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का निर्णय, जिसके द्वारा 2008 की रिट याचिका संख्या 12239 में पारित दिनांक 2 के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय, मामले को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए निपटान आयोग को भेजता है, जुर्माना लगाने और अभियोजन से प्रतिरक्षा के प्रश्न को एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है। नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाता है। निपटान आयोग का दिनांकित 04.03.2008 का आदेश बहाल किया गया है। अपील की अनुज्ञात है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात।

निधि जैन